629/18

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-9-22 - पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 ता 5 अनुपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 ता 5 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पूर्व दिनांक 7-9-22 को पेश हुई, शामिल हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर बहस सुन ली गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश [illegible] लिखाया जाकर शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार देकर नम्बर से [illegible] दफ्तर हो।	
उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:10:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 629/18

प्रार्थी :– लाभूराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी नेवरी तहसील कल्याणपुर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नेनाराम पुत्र जालाराम जाति जाट निवासी असराबा चौहान
2. लुणाराम पुत्र चुतराराम
3. चम्पालाल पुत्र चुतराराम
4. बाबूलाल पुत्र तुलसीराम जाति सुथार निवासी नेवरी
5. मू. नेनीदेवी पत्नी चूतराराम सुथार नेवारी , तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :–
1 श्री भूराराम चौधरी वकील प्रार्थी
2 श्री पूनमाराम चौधरी वकील विप्रार्थी संख्या – 1
3. श्री रूघाराम कडवासरा वकील वि0सं02 ता 5 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक :–13.9.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 736/405 रकबा 5–15 बीघा सरहद मौजा नेवरी पटवार हल्का नेवरी तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर की भूमि में आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 628/422 रकबा 26 बीघा, खसरा संख्या 418 रकबा 32–13 बीघा भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बरंग लाल से मार्क ए से बी सरवडी ग्रेवल सडक जो राजस्व रेकर्ड में राजस्व मार्ग है वहां तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। विप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या – 1 नैनाराम ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत न करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी ढाणी व खेत तक रास्ता कटवाने के लिये जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी व विप्रार्थी के मध्य लोक अदालत की भावना से एवं मौजीज लोगो की समझाईश से राजीनामा हो गया है। जिस अनुसार मेरी खातेदारी भूमि में से रास्ते निकालने में मुझ किसी प्रकार की [illegible] न ही इस हेतु रास्ते की भूमि के लिये किसी प्रकार का मुआवजा आदि प्राप्त [illegible] चाहता हूं । विप्रार्थी नैनाराम ने कथन किया की [illegible] बिना मुआवजा देने को तैयार हूँ । राजीनामा प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थी ने[illegible]म व प्रार्थी लाभूराम दोनो के हस्ताक्षर व दोनो अधिवक्तागण द्वारा तस्दीकसुदा है । विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 को जबाब हेतु लगभग तीन वर्ष से भी अधिक समय में 42 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नहीं किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:10:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

जबाब पेश हेतु पर्याप्तम अवसर दिये गये बावजूद जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब का अवसर बंद किया गया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में भू.अ.नि थोब से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार कल्याणपुर के पत्रांक 689 दिनांक 2.9.2022 के मार्फत भू.अ.नि. थोब की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 प्राप्त हुई, के अनुसार सरहद मौजा नेवरी के खसरा संख्या 763/405 रकबा 5-00 बीघा में कृषि भूमि उपयोग हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या नम्बर 628/422 रकबा 26 बीघा मे से रास्ते हेतु 1-02 बीघा (18 फूट चौडा रास्ता 1640 लम्बा रास्ता) व खसरा संख्या 418 रकबा 32-13 बीघा में से रास्ते हेतु 0-14 बीघा (1433 फूट लम्बा व 13 फूट चौडा) प्रार्थी द्वारा चाहा गया है जो राजस्व रेकर्ड के अनुसार निकटतम रास्ता यही लगता है ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी । प्रार्थी के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम उपयुक्त है । प्रार्थी खातेदारी काश्तकार होने से 251-अ आर.टी.के एक्ट के अन्तर्गत खेतीहर कार्य हेतु रास्ता पाने का हकदार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया । विप्रार्थी संख्या - 1 के अधिवक्ता ने पूर्व प्रस्तुत आपसी राजीनामा अनुसार सहमती प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू0अभिलेख निरीक्षक थोब द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार होने, भू0अभिलेख निरीक्षक थोब द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, विप्रार्थी संख्या - 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 द्वारा पर्याप्तम अवसर देने के बावजूद भी जबाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनकी ओर से मौन स्वीकृत प्रतीत होती है । उक्त आधारो पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र भू.अ.नि थोब द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 16.8.2022 के अनुसार स्वीकार किया जा कर ग्राम नेवरी पटवार हल्का नेवरी [illegible] कल्याणपुर मे प्रार्थी के खसरा नम्बर 736/405 रकबा 5-15 बीघा मे [illegible] जो राजस्व रेकर्ड में राजस्व मार्ग है वहां तक आवागमन [illegible] विप्रार्थी के खसरा संख्या 628/422 रकबा 26 बीघा मे से 1-02 बीघा (18 फूट चौडा रास्ता 1640 लम्बा रास्ता) भूमि, खसरा संख्या 418 रकबा 32-13 बीघा में से 0-14 बीघा (1433 फूट लम्बा व 13 फूट चौडा) भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अनुसार बरंग लाल गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते मे विप्रार्थी संख्या -1 नैनाराम खेत खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh So
Date: 2022.10.05 19:10:21 IS
Reason: SelfAttested

628/422 रकबा 26 बीघा मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि 1–02 बीघा (18 फूट चौडा रास्ता 1640 लम्बा रास्ता) आपसी सहमती से निशुल्क बिना मुआवजा देना स्वीकार किया है। शेष विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के खेत खसरा संख्या 418 रकबा 32–13 बीघा मे से प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि 0–14 बीघा (1433 फूट लम्बा व 13 फूट चौडा) भूमि का मुआवजा सम्बन्धित खातेदारान को डी.एल.सी दर की दुगनी क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण कर नियमानुसार भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करावे । संबधित खातेदारान द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा की जाकर तहसीलदार कल्याणपुर नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

भू.अ.नि थोब द्वारा दिनांक 16.8.2022 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:10:21 IST
Reason: SelfAttested